न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 23/2019 (214/2007)
GCMS NO. : 2007/00002

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम जाति- ब्राह्मण निवासी- बैडकलां तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।		1. पन्नालाल पुत्र नरसिंह 2. भंवरलाल पुत्र नरसिंह 3. नारदमुनी पुत्र नरसिंह 4. फाउलाल पुत्र नरसिंह जाति- ब्राह्मण निवासी- बैडकलां तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर। 5. उपपंजियन अधिकारी, जैतारण। 6. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:-23/09/2019

उपस्थित:- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 21/09/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वंशावली अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 नरसिंह की संतान है तथा रेवीदेवी (फौत) पत्नी है। वंशावली अनुसार नरसिंह के अन्य पुत्र नैनाराम, दशरथ, नारदमुनी फौत हो चुके है। मृतक नैनाराम की मृत्यु दिनांक 27.08.2005 को हो गयी तथा उनकी पत्नी कमला की मृत्यु दिनांक 07.01.2007 को हो गयी। मृतक नैनाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई दशरथ कुमार के पुत्र वादी गौरवदीप को गांव व समाज तथा रिश्तेदारों की उपस्थिति में गौद लिया तथा गौरवदीप की माता तथा प्राकृतिक पिता दशरथ ने गौद दिया तथा मृतक नैनाराम व उसकी पत्नी कमला ने गौद लिया तथा उसे गौद में बैठाया व समाज के लोगों को मांगलिक दिया व भोजन करवाया। वादी गौरवदीप को गौद लेने व गौद देने में दोनों के माता-पिता की सहमति थी। नैनाराम की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु अग्नि वादी गौरवदीप ने दी तथा उसकी अस्थियों को माफिक हिन्दु रिति रिवाज से गंगाजी में प्रवेश किया। उसका बारहवां व गंगाप्रसादी तथा सामाजिक क्रिया आदि की रस्में हिन्दु रिति रिवाज से वादी गौरवदीप ने स्वयं तथा उसके प्राकृतिक माता-पिता ने की। मृतक नैनाराम की मृत्यु होने पर गंगाजी पर दिनांक 08.09.2005 को गांव व समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गौरवदीप का पगडी दस्तुर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

हुआ तथा वादी को नैनाराम के दत्तक पुत्र स्वीकार कर उसका उत्तराधिकारी की हैसियत से पाग दस्तुर भी किया जो इनके समाज में होता आया है। तब से वादी नैनाराम का दत्तक पुत्र है। वादी को इनके आदिगौड ब्राह्मण विकास सेवा समिति जैतारण के अध्यक्ष व मंत्री ने दत्तक पुत्र बाबत् प्रमाण–पत्र भी दिनांक 17.09.2007 को दिया। हमारे समाज में इस प्रकार गौद लेने की रुढीप्रथा है, जिसकी हमारे समाज में मान्यता प्राप्त है। सरहद मौजा बैडकलां तहसील जैतारण में वादी के दत्तक पिता नैनाराम के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 40–01 बीघा किस्म चाही दोयम आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार नैनाराम था। उक्त कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल में नैनाराम का कब्जा व काश्त था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कमला का कब्जा व काश्त था तथा वादी गौरवदीप का अपने प्राकृतिक पिता की देखरेख में उक्त भूमि पर नैनाराम की मृत्यु के बाद कब्जा व काश्त था। चूंकि नैनाराम, कमला तथा उसके प्राकृतिक पिता दशरथ की मृत्यु दिनांक 03.08.2007 को हो गयी तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि पर वादी गौरवदीप प्राकृतिक माता की देखरेख में वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार नैनाराम ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 252 भूमि को अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा वादी गौरवदीप के पक्ष में दिनांक 25.05.2005 को तकमील किया जिसमें यह तथ्य लिखे कि ''मेरी उम्र अधिक है तथा लम्बे समय से बीमार हुँ। मेरे भाई दशरथ ने ईलाज करवाया तथा मेरे व मेरी पत्नी के आल औलाद नहीं होने से वादी/द्वितिय पक्ष गौरवदीप गौड को अपना पुत्र मानते हुए गौद लिया है तथा उक्त सम्पत्ति/जायदाद के मालिक मेरे मरने के बाद हो जायेंगे व मेरे स्वर्गवास के बाद कोई शक्स उजर व एतराज करेगा तो इस वसीयत के जरिये झुठा माना जायेगा।'' तथा वर्णित जायदाद में मेरी मृत्यु के बाद कानूनी रूप से अधिकार व उत्तराधिकारी माना जायेगा, इस आशय की वसीयत नैनाराम ने वादी के पक्ष में तकमील की। इस कारण से वादी वाद में वर्णित कृषि भूमि का एक मात्र मालिक है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.10.2007 को ऐलानिया धमकी दी कि वाद में वर्णित कृषि भूमि पर अब हम खडाई कर काश्त करेंगे व फसल बोयेंगे। उक्त कृषि भूमि पर जो मृतक नैनाराम ने दत्तक पुत्र के अधिकार दिये है कि खातेदारी भी रेवीदेवी के नाम दर्ज करवायेंगे व उक्त कृषि भूमि पर हम प्रतिवादीगण ही काश्त करेंगे व उक्त कृषि भूमि से तुम्हे बेदखल करेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा गलत व गैरकानूनी कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की गौद पुत्र की हैसियत से तथा वसीयतनामा से आयी जायदाद अपने नाम दर्ज करवाने [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 के कार्यालय में एक प्रा.पत्र भी प्रस्तुत किया, [illegible] ने वास्ते जांच सरपंच ग्राम पंचायत बैडकलां को [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कृषि भूमि को हडपने तथा अपने नाम [illegible] जानकारी होने पर वादी को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

साम्पैतिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह घोषणा का वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। तब वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी की प्राकृतिक माता ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 23.10.2007 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने से स्पष्ट मना किया व उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तब वादी ने उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। नकल जमाबंदी, गौदनामा, मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि पेश है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है, जिन्हे बिना पूर्व नोटिस के वाद प्रस्तुत करने हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रा.पत्र अनुमति हेतु पेश है। विनाय वाद दिनांक 20.10.2007 को वादी को प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में काश्त नहीं करने की ऐलानिया धमकी दी व बेदखल करने का कहा तथा दिनांक 23.10.2007 को उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की धमकी देने पर बमुकाम बैडकलां तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य होने का कथन सही है। मगर जो वंश वृक्ष दिया है जो पूर्णरूप से सही नहीं है। स्व0 श्री नरसिंह पुत्र रामसुख ब्राह्मण निवासी बैडकलां के 6 पुत्र क्रमशः भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल, पन्नालाल, दशरथ, नारदमुनी व 2 पुत्रियां पारसकंवर व विमला देवी है व श्रीमति रेवीदेवी पत्नी है। स्व0 श्री नरसिंह की मृत्यु दिनांक 23.03.2000 को हुई व उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति जवाब दावा के साथ पेश की जा रही है। स्व0 नरसिंह पुत्र रामसुख के स्व0 पिता रामसुख पुत्र रूपाजी के नाम वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी म्युटेशन संख्या 08 मौजा बैडकलां दिनांक 21.09.1958 को पारित किया गया। जिसमें उनके एक जायन्दा लड़के नरसिंह के फौतेदगी म्युटेशन के साथ उनके पोते भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल व घेवरचन्द के नाम दर्ज किया गया। म्युटेशन संख्या 308 दिनांक 15.11.1976 के द्वारा स्व0 नरसिंह व उनके लड़के नैनाराम, भंवरलाल, फाउलाल, पन्नालाल, नारदमुनी के नाम जरिये आपसी बंटवाडा के अनुसार म्युटेशन भरा गया। स्व0 नरसिंह के फौत होने पर स्व0 नरसिंह के नाम की भूमि का [illegible] भूमि का फौतेदगी म्युटेशन नहीं भरकर म्युटेशन संख्या [illegible] के अनुसार दशरथ पुत्र नरसिंह के नाम गलत व [illegible] अकेले स्व0 दशरथ पुत्र नरसिंह के नाम दर्ज की गई। स्व0 रामसुख की भूमि उनके पुत्र नरसिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज हुई व नरसिंह की मृत्यु के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 08 व इस अधिनियम की अनुसुचि के अनुसार स्व0 नरसिंह की मृत्यु दिनांक 23.03.2000 के पश्चात सम्पूर्ण भूमि उनके 6 जायन्दा पुत्र क्रमशः भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल, पन्नालाल, दशरथ, नारदमुनी व उनकी धर्म पत्नी रेवीदेवी व दो पुत्रियां विमला देवी व पारस कंवर कुल 09 उत्तराधिकारी है व खातेदार काश्तकार है। पुत्रियों के नाम राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा म्युटेशन दर्ज नहीं किये गये। स्व0 नैनाराम दिनांक 27.08. 2005 को फौत हुए उस वक्त उनके कोई जायन्दा पुत्र नहीं था व नैनाराम ने दशरथ के एक मात्र जायन्दा पुत्र गौरवदीप पुत्र दशरथ को गोद नहीं लिया। बल्कि नैनाराम के फौत होने पर उनके कोई जायन्दा पुत्र, पुत्रियां व कोई दत्तक पुत्र नहीं था। एक मात्र उत्तराधिकारी पत्नी कमला देवी थी जो दिनांक 07.01.2007 को नाऔलाद फौत हो गई है। उनके फौत होने के पश्चात स्व0 नैनाराम व कमला की जमीन के उत्तराधिकारी प्रतिवादी रेवीदेवी है, जो स्व0 नैनाराम की माता है। वादी गौरवदीप न तो दत्तक पुत्र है न ही नैनाराम के दादा रामसुख की बाप दादा की पैतृक व पुश्तैनी अविभक्त हिन्दू मुस्तर्का खानदान की भूमि को वसीयत करने का भी कोई कानूनी अधिकार नैनाराम व उसकी पत्नी को नहीं था। न ही नैनाराम व उसकी पत्नी ने वादी के पक्ष में कोई वसीयतनामा ही तकमील किया, तथाकथित वसीयतनामा अवैध, फर्जी है। वादी गौरवदीप अपने जायन्दा पिता दशरथ व माता मंजुलता का एक मात्र अकेला लड़का होने से माफिक एडोपशन एवं मेंटीनेन्स एक्ट, 1956 के अनुसार माफिक कानून एक मात्र लडके को न तो गोद दिया जा सकता है न लिया जा सकता है। न ही मान्य है। नैनाराम नाऔलाद फौत हुए, उनके कोई जायन्दा दत्तक पुत्र नहीं था व उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी धर्म पत्नी कमलादेवी थी। जिसने अपने जीवनकाल में गोविन्द पुत्र भंवरलाल के लड़के को गोद लिया, उसी ने कमला देवी के बारह दिन पूरे किये थे व दाह संस्कार किया था। इस प्रकार वादी गौरवदीप नैनाराम व उसकी पत्नी कमला देवी का दत्तक पुत्र नहीं है न ही उनकी सम्पत्ति में कोई हक व अधिकारी ही है। बल्कि वह अपने पिता दशरथ का एक मात्र जायन्दा लड़का है, व उत्तराधिकारी है। नैनाराम की सम्पत्ति हड़पने की नियत से प्रहलादराम पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी बैडकलां व बालूराम पुत्र माधुराम ब्राह्मण निवासी निम्बेडा कलां तहसील रायपुर जा वादी से हितबद्ध है व प्रतिवादी से रंजिश रखते है ने झूठे अध्यक्ष व मन्त्री बनकर झूठे प्रमाण-पत्र जारी किये है। आदि गौड ब्राह्मण विकास सेवा समिति जैतारण कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। न ही कोई विधिवत अध्यक्ष व मंत्री है। दिनांक 25.05.2005 को बताई गई तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है व वादी गौरवदीप के पिता दशरथ द्वारा [illegible] हड़पने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। इस [illegible] दस्तावेज लेखक का न तो नाम है न ही दस्तावेज [illegible] कोई दिनांक ही अंकित की गई है। तथाकथित नैनाराम व कमलादेवी के फर्जी अंगुठ चस्पा किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

जबकि नैनाराम पढ़ालिखा था व जीवनभर हस्ताक्षर किये है। गवाह भी स्वतंत्र नहीं है। व वसीयतनामा में नोटेरी के अटेस्टेड हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 25.05.2005 अंकित है। मगर यह अटेशटेशन नैनाराम की मौजूदगी में उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने का अंकन किये जाने बाबत कोई ईबारत नहीं है। व वसीयतनामा में नैनाराम गौड़ वक्त तकमील करने वसीयत हाल अम्बिका अस्पताल जोधपुर में अस्पताल का पता अंकित है। जबकि अम्बिका अस्पताल जोधपुर में दिनांक 01.05.2005 से दिनांक 01.06.2005 की अवधि में स्व0 नैनाराम पुत्र नरसिंह ब्राह्मण निवासी बैडकलां का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती रहा ही नहीं, इसलिए तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है। स्वी0 कमला देवी अपने मासा सोहनलाल पुत्र कुन्दनमल के पास अपने पीहर गांव रास में रहती थी। वह जनवरी, 2005 से जुलाई, 2005 में कमलादेवी जोधपुर गई ही नहीं न ही बैडकलां आई व उसकी भांणजी का फर्जी अंगुठा लगाकर यह फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया। नैनाराम की भूमि पर बतौर दत्तक पुत्र गोविन्द व नैनाराम की माता रेवी देवी काबिज है व खातेदार काश्तकार है।

वादी द्वारा जबाबुल जबाब पेश किया गया, जो शा.मि. है। वादी ने अपने जबाबुल जबाब में कथन किया कि सरहद मौजा बैडकलां में नृसिंह के नाम वक्त सेटलमेन्ट से खातेदारी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी और नरसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दी थी। नृसिंह द्वारा अपने पोतों के नाम भूमि का हस्तांतरण करने का तथ्य बेबुनियाद एवं निराधार है। नरसिंह के फौत होने पर फौतेदगी म्युटेशन नहीं भरकर दशरथ के नाम फर्जी वसीयत के आधार पर दर्ज करने का तथ्य गलीत होने से अस्वीकार है। नरसिंह ने अपने जीवनकाल में ही स्वयं दशरथ के नाम भूमि का हस्तांतरण कर दिया था। नरसिंह की मृत्यु के पशतचात फौतेदगी नामान्तकरण विधिवत भरा गया है। दशरथ के पुत्र गौरवदीप है और सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार स्व0 नैनाराम ने गोद लिया था। गोदनामा/वसीयतनामा दिनांक 25.05.2006 को निष्पादित किया। स्व0 नैनाराम के नाऔलाद फौत हो जाने से उनका उत्तराधिकारी एक मात्र गौरवदीप ही था और उक्त आराजी पर कानूनी अधिकार से एवं नाम खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। नैनाराम अपने जीवनकाल में विक्रय/वसीयत आदि बैचान का नाऔलाद होने के कारण हिन्दु खानदान के अनुसार गोद लेने का अधिकारी है और इसी हेतु उसने अपने वंश को आगे चलाने हेतु गोद लिया है जिसका सम्पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि नैनाराम की पत्नी कमला ने अपने जीवनकाल में गोविन्द पुत्र भंवरलाल के लडके को गोद लिया है। प्रतिवादी का यह कथन निराधार है। कमला ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोविन्द को गोद नहीं लिया था। [illegible] दशरथ ने अपने भाई नैनाराम की बीमारी का ईलाज कराया [illegible] तथा नाऔलाद होने से गौरवदीप को गोद लेने [illegible] जो प्रमाणित दस्तावेज है। गोविन्द को गोद लेने का कोई दस्तावेज नहीं है। स्व0 नैनाराम की पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

कमला देवी पीहर रास में नहीं रहकर बैडकलां में ही निवास करती थी। गोविन्द ने कमला की मृत्यु होने पर किसी तरह का कोई संस्कार नहीं किया था।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम, प्रतिवादी पन्नालाल पुत्र नरसिंह, भंवरलाल पुत्र नरसिंह व जरिये अधिवक्ता फाउलाल पुत्र नरसिंह ने अपने तहरीरी राजीनामा में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा सगे सम्बन्धी है, जिन्होनें आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व परिवार व समाज के लोगों की आपसी समझ समझाईस से राजीनामा कर लिया है कि ''वादी नैनाराम का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादीगण के भाई नैनाराम ने उसे अपने जीवनकाल में वादी गौरवदीप को गोद लिया व गोद रस्म की सम्पूर्ण कार्यवाहीयां सामाजिक रूप से पूर्ण की। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 252 रकबा 40-01 बीघा प्रतिवादीगण के भाई नैनाराम व वादी के दत्तक पिता नैनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि को जरिये राजीनामा डिक्री वादी को दत्तक पुत्र स्वीकार कर उसके पक्ष में वादपत्र निर्णित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कोई उजर, एतराज, आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि नैनाराम के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी गौरवदीप ही उनका एक मात्र गोदपुत्र होने से उसे उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है व उक्त वादपत्र के जरिये वादी राजीनामा अपने पक्ष में घोषणा की डिक्री प्राप्त करे तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, ऐतराज नहीं है।'' वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होने से व राजीनामा हो जाने से आने वाली पीढियों में किसी प्रकार की वेमनस्यता पैदा न हो व परिवार के बीच प्रेमभाव बना रहे इसी को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा कर लिया है। जिसके आधार पर प्रस्तुत वादपत्र जरिये राजीनामा वादी के पक्ष मे डिकी फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 फाउलाल की और से जरिये अधिवक्ता उक्त राजीनामा पेश है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर जरिये राजीनामा वादी का वादपत्र वादी के पक्ष मे निर्णित व डिकी फरमावे।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम बैडकलां की जमाबन्दी संवत् [illegible]–2065, संवत् 2074–2077 (प्रदर्श–1,2) के खसरा [illegible] 252 [illegible] 6.48[illegible]। हैक्टेयर किस्म चाही चाही दोयम में 'नेना[illegible] की प्रविष्टि दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible]

2. वादी गौरवदीप दत्तक पुत्र नेनाराम ने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 पेश किया व दस्तावेज प्रदर्श करवाए। अन्य गवाह दुलाराम पुत्र भिरदाराम, नवलकिशोर शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा ने साक्ष्य शपथ–पत्र क्रमशः P/W 02, P/W 03 प्रस्तुत किये।
3. वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रदर्श दस्तावेजात प्रदर्श–3ए (वसीयतनामा), प्रदर्श–4ए (गौड ब्राह्मण विकास सेवा समिति, जैतारण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–5ए (दशरथ गौड का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति) प्रस्तुत किये।
4. चुंकि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है तथा सगे सम्बन्धि है जिन्होनें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व समाज के लोगों की आपसी समझाईस से राजीनामा कर लिया है।
5. राजीनामा में वर्णित तथ्यों को उभयपक्ष के रूबरू पढा गया जिसे उभयपक्ष ने सुन समझकर सही व सत्य होना स्वीकार किया व राजीनामा में किये गए कथन के समर्थन में वादी, प्रतिवादीगण व उभयपक्ष अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। राजीनामा में उभयपक्ष ने वादी श्री गौरवदीप को नैनाराम का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है। वादी की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान वकील श्री चावण्डदान बारहठ ने की ।

इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 252 रकबा 6.4831 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम ग्राम बैडकलां के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्ठि 'नेनाराम पुत्र नरसिंह' के स्थान पर वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में 'गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम' की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बैडकलां पटवार हल्का बैडकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 6.4831 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के **भू–अभिलेख** में दर्ज प्रविष्ठि ***'नेनाराम पुत्र नरसिंह'*** *के स्थान पर* ***'गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित होगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/09/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– **जैतारण**

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम
जाति– ब्राह्मण निवासी– बैडकलां
तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।

1. पन्नालाल पुत्र नरसिंह
2. भंवरलाल पुत्र नरसिंह
3. नारदमुनी पुत्र नरसिंह
4. फाउलाल पुत्र नरसिंह
जाति– ब्राह्मण निवासी– बैडकलां
तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।
5. उपपंजियन अधिकारी, जैतारण।
6. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी
राजस्थान सरकार।

मु0न0 रा0वा0स0– 23/2019 (214/2007)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए रा.का.अधि, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बैडकलां पटवार हल्का बैडकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 6.4831 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के **भू–अभिलेख** में दर्ज प्रविष्ठि **'नैनाराम पुत्र नरसिंह'** *के स्थान पर* ***'गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/09/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	9.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	2.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	5.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	3.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	19.00		मिजानः–	3.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, वहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested